भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 347

19 नवंबर, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: प्रधानमंत्री किसान योजना हेतु पात्र किसान

347. श्री चुन्नी लाल साहुः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पात्र किसानों के नामों को सूचीबद्ध करके राज्य सरकारों द्वारा पात्र किसानों के लाभ हेतु कोई ठोस कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/जिले-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा कितने पात्र किसानों को सूचित और सूचीबद्ध किया गया है और कितने पात्र किसानों को किसान सम्मान धनराशि वितरित की गई थी;

(घ) अब तक लाभान्वित किसानों का जिले-वार/क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर उचित कार्रवाई नहीं करने के क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) और (ख) जी हां, राज्य गांव के पात्र लाभार्थी भूमिधारक किसान परिवारों का डेटाबेस तैयार करते हैं जिसमें लाभार्थियों के नाम आयु, लिंग, श्रेणी (अनु.जा./अनु.ज.जा.), आधार सं., बैंक खाता सं. और मोबाइल सं. होती है। इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र भूमिधारक किसान परिवार की पहचान करने की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की होती है। पात्र लाभार्थियों की सूचियां गांव स्तर पर प्रकाशित की जाती हैं। वे लाभार्थी जिनके नाम किसी विशेष चार माह की अवधि/त्रैमासिक रूप में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा तैयार किए गए पीएम-किसान पोर्टल पर अपलोड किए जाते हैं, वे उस तिमाही के लिए लाभ और आगे तत्पश्चाती तिमाही से संबंधित किस्तों को प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे। दिनांक 15.11.2019 की स्थिति के अनुसार राज्य द्वारा अपलोड किए गए लाभार्थियों का विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा 19,00,761 पात्र किसानों का डेटा अपलोड किया गया है और छत्तीसगढ़ राज्य के 14,82,417 किसान परिवारों को लाभ दिए गए हैं। राज्य द्वारा उनके डेटा को सही कर दिए जाने के बाद शेष लाभार्थियों को किस्तों का भुगतान कर दिया जाएगा।

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य के लाभार्थियों का जिलावार विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अनुबंध -I

पीएम-किसान के तहत राज्यों द्वारा अपलोड किए गए लाभार्थियों की सूची दिनांक 15-11-2019 की स्थिति के अनुसार

क्र.सं.	राज्य	प्राप्त डेटा
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	16,684
2	आंध्र प्रदेश	46,86,448
3	अरुणाचल प्रदेश	47,056
4	असम	36,39,416
5	बिहार	47,89,031
6	चंडीगढ़	462
7	छत्तीसगढ	19,00,761
8	दादर और नागर हवेली	9,968
9	दमन और दीव	3,483
10	दिल्ली	12,914
11	गोवा	6,906
12	गुजरात	48,91,271
13	हरियाणा	15,52,692
14	हिमाचल प्रदेश	8,61,534
15	जम्मू और कश्मीर	9,76,065
16	झारखंड	17,56,458
17	कर्नाटक	48,31,487
18	केरल	29,40,324
19	लक्षद्वीप	1,699
20	मध्य प्रदेश	57,35,453
21	महाराष्ट्र	81,14,286
22	मणिपुर	89,898
23	मेघालय	67,394
24	मिजोरम	77,094
25	नागालैंड	1,70,466
26	ओडिशा	32,31,978
27	पुडुचेरी	9,127
28	पंजाब	23,70,077
29	राजस्थान	57,55,868
30	सिक्किम	11,048
31	तमिलनाडु	34,99,939
32	तेलंगाना	36,02,375
33	त्रिपुरा	1,93,590
34	उत्तर प्रदेश	2,15,91,954
35	उत्तराखंड	7,06,428
36	पश्चिम बंगाल	0
	कुल योग :	**8,81,51,634**

लो.स.अ.प्र.सं.347

अनुबंध-II

पीएम-किसान के तहत छत्तीसगढ़ के जिलेवार लाभार्थी दिनांक 16.11.2019 की स्थिति के अनुसार		
क्रम सं0	जिला	लाभार्थियों की संख्या जिन्हौंने भुगतान प्राप्त किया
1	बालोद	99059
2	बालोदा बाजर	89031
3	बलरामपुर	41747
4	बस्तर	41745
5	बेमेतरा	86831
6	भाटापारा	0
7	बीजापुर	7610
8	बिलासपुर	53255
9	दंतेवाड़ा	10998
10	धमतरी	64007
11	दुर्ग	64279
12	गरियाबंद	59940
13	जांजगीर-चंपा	53701
14	जशपुर	59587
15	कबीरधाम	53542
16	कांकेर	60014
17	कोण्डागांव	24932
18	कोरबा	42231
19	कोरिया	33162
20	महासमुंद	86934
21	मुंगेली	46613
22	नारायणपुर	6835
23	रायगढ़	82784
24	रायपुर	68069
25	राजनंदगांव	118006
26	सुकमा	13003
27	सूरजपुर	53119
28	सरगुजा	61383
	सकल योग	1482417

******